

कार्यालय महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट
E-mail – gm_bgtpiu1@rediffmail.com - 07632240334

पत्र क्र. 139 / तक / मप्रग्रासप्रा / 2024
प्रति,

बालाघाट दिनांक 19/01/2024

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण वनमंडल (सा.) बालाघाट

विषय :- बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत कि.मी. 28 ऑफ टी 01 से बंजारीटोला मार्ग निर्माण हेतु 1.523 हेक्टेयर वन भूमि म.प्र.ग्रामीण विकास प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग कर देने बाबद्।
(ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/155399/2022)

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ-5 / 1249 / 2023 / 10-11 / 170 भोपाल दिनांक 08.01.2024


—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में लेख अनुसार बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत कि.मी. 28 ऑफ टी 01 से बंजारीटोला मार्ग निर्माण हेतु 1.523 हेक्टेयर वन भूमि म.प्र.ग्रामीण विकास प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग कर देने के संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर पालन प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त संबंध में सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के तहत NPV तथा क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि आवेदक विभाग द्वारा प्रकरण में दिये गये निर्देशों के तहत राशि केम्पा मद में जमा कर ऑनलाईन चालान की प्रति एवं परिवेश पोर्टल पर अपलोड की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। म्यूटेशन की कार्यवाही पूर्ण कर पोर्टल में अपलोड किया गया है। सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तें (भाग A अन्तर्गत 1 से 16 एवं भाग B अन्तर्गत 1 से 17) का शर्तवार पालन प्रतिवेदन एवं भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा नेट प्रजेन्ट वेल्थ (NPV) की दर निर्धारित की जाती है तो उक्त आकलित अंतर की राशि का भुगतान किये जाने संबंधी लिखित वचन पत्र मय अभिलेख सहित आपकी ओर 02 प्रतियों में प्रेषित है।


कृपया कि.मी. 28 ऑफ टी 01 से बंजारीटोला मार्ग निर्माण हेतु 1.523 हेक्टेयर वन भूमि में सड़क निर्माण की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट
बालाघाट, दिनांक 19/01/2024

पृ. क्र. 140 / तक / मप्रग्रासविप्रा / 2024
प्रतिलिपी:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक बालाघाट, वनवृत्त बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर बालाघाट, जिला बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. उप वनमंडलाधिकारी लांजी (सा.) उपवनमंडल लांजी की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।
5. वन परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व लांजी (सा.) परिक्षेत्र की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ।


महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

General Manager

M.P.R.R.D.A.P.I.U.-1 Balaghat

Name of Road - Km. 28 of T01 to Banjaritola, 1.523 Hact.


Proposal No. - FP/MP/Road/155399/2022

क्र.	वन विभाग द्वारा अधिरोपित शर्तें	आवेदक विभाग द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन
A	Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.	
1	The cost of compensatory afforestation on the 3.046 ha. (out of 89.255 ha.) Chhote-Bade Jhad ka Jungle land at prevailing wage rates as per compensatory offorestation scheme (including cost of survey demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate. provisions for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त के पालन में तैयार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना 89.255 हेक्टेयर की राशि रु. 26485020.00 ऑनलाईन केंपा मद में जमा करा दी गई है।
2	The Chhote-Bade Jhad ka Jungle land shall be transferred and mutated in fovour of state forest department and documents shall be submitted.	उक्त गैर वन भूमि को वन विभाग के नाम हस्तांतरण करा दी गई है। कलेक्टर बालाघाट के आदेश पत्र पृ. क्रं. 6333 दिनांक 05.12.2022 द्वारा वन विभाग को हस्तांतरण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। खसरा P2 की छायाप्रति संलग्न है।
3	The Chhote Bade Jhad ka Jungle land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as reserved forest under section-4 or protected forest under section 29 of the Indian forest Act, 1927 or under the relevant section (S) of the State Forest Act, A Copy of PF/RF notification may be submitted with Stage-I compliance report.	वन विभाग से संबंधित है।
4	Cost at compensatory afforestation on the 36.00 ha. (Consolidated area) Degraded forest land at prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate. provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	RDF क्षेत्र में तैयार की गई 36.00 हेक्टर की एकजाई 5 प्रस्तावों में राशि रु. 16216427.00 प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/156107/2022 में केम्पा मद में ऑनलाईन दिनांक 04.01.2024 को जमा कराई जा चुकी है।


महाप्रबंधक

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि. क्रियान्वयन इकाई कं.


5	The Concern DFO shall submit proposal wise KML File/Geo reference map (NFL and DFL both) of CA areas at the time of stage-II approval.	शर्त 5 के पालन में NFL and DFL गैर वन भूमि एवं वन भूमि पर तैयार CA योजना की KML File परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
6	The State Forest Department shall ensure to plant 3046 saplings in proposed Chhote-Bade Jhad ke Jungal or DFL area and submit plantation details to this office.	वन विभाग से संबंधित है।
7	The state Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 1.523 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006. 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.	शर्त के पालन के NPV की राशि रु. 1871143.00 दिनांक 04.01.2024 को जमा करा दी गई है। (छायाप्रति संलग्न है।)
8	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited in CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/)	वैकल्पिक वृक्षारोपन में NPV की राशि ऑनलाइन केम्पा मद में जमा कर दी गई है।
9	Complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	FRA प्रमाण पत्र कलेक्टर बालाघाट द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भेजा गया है। (छायाप्रति संलग्न है।)
10	All conditions of CWLW/SBWL/NBWL shall be strictly complied wherever applicable.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
11	The User Agency shall submit road side plantation scheme in consultation with the State Forest Department and the plantation shall be carried out by SFD at the cost of User Agency.	मार्ग की चौड़ाई 7.50 मी. पेड़ लगाना संभव नहीं है मार्ग के दोनों किनारे में पूर्व से ही पेड़ लगे हुए हैं। वन अधिकारी वनमंडल के द्वारा वृक्षारोपण किया जाना है।
12	The User agency shall submit on undertaking that no muck shall be disposed off in forest land.	मार्ग निर्माण में निकलने वाली उपयोगी मिट्टी Emabankment बनाने में किया जावेगा तथा शेष अनुपयोगी मिट्टी मार्ग के समतलीकरण में उपयोग की जावेगी। अतः Muck वन क्षेत्र में कहीं भी नहीं डाला जावेगा। (वचन पत्र संलग्न है।)
13	The KML files of Diverted and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II Approval.	व्यपवर्तित वन क्षेत्र की KML File, e-Green Watch अपलोड कर दी गई है।


महाप्रबंधक
 म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
 परि. क्रियान्वयन ईकाई कं.1, बालाघाट

4	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation). Act 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC date 28/03/2019	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
15	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	प्रथम चरण में अधिरोपित शर्तों A & B का पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
16	In case working permission is granted by the State Forest Department a copy of the same shall be submitted with compliance report of Stage-I approval.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
B	Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval	
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 3.046 ha. (out of 89.255 ha.) Chhote - Bade Jhad ka Jungle land at Khasra No. 210/1, 264/1 Village Sunder, Tehsil-Tirodi District- Balaghat at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species especially non native species shall be avoided.	वन विभाग से संबंधित है।
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 36.00 ha. Degraded forest land at forest compptt/Survey no. RF-359 Forest range LanjiTahsil Lanji District- Balaghat at the cost of the user agency. As far as possible a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species especially non native species shall be avoided.	वन विभाग से संबंधित है।
4	Additional amount of NPV of the diverted forest land if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert. Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency Shall furnish an undertaking to this effect.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं वचन पत्र संलग्न है।


महाप्रबंधक
 म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
 परि. कियान्वयन ईकाई कं.1, बालाघाट

5	The User Agency shall restrict felling of trees to the enumerated 43 number/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict Supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department and State Forest Department shall undertake the felling.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
6	Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
7	User agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	इस संबंध में अनुरोध है कि यह Road Singal lane है तथा किनारे-किनारे वृक्ष लाये हुए हैं। अतः वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है।
8	Speed regulating signage will be erected all along the road at regular intervals in the protected Areas/forest Areas.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
9	Layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
10	No labour camp shall be established on the forest land.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
11	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
12	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
13	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the project life.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
14	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
15	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Rules, Regulation, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any for the time being in force, as applicable to the project.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।
16	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies department or person without prior approval of Central Government.	आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।


महाप्रबंधक
 म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
 परि. कियान्वयन ईकाई कं.1, बालाघाट

Any other condition that the Ministry of Environment Forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.

आवेदन संस्थान सहमत है एवं शर्त का पालन किया जावेगा।



General Manager
M.P.R.R.D.A.P.I.U.-1 Balaghat



गद्यप्रवेश काव्यहरीकृत भू-उपनिषद्

निर्वाह

प्रारूप एका (नियम 6 देखिए)
मध्यप्रदेश भू-राजस्व शक्तिया (भू-सम्यक्करण तथा भू-अनिहेय) नियम, 2020

(સાથે ૭ લાઈન) અને ૫૦૦

CLR No.: 11090420499

[illegible]

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परि. कियान्वयन ईकाई क्रं.1, बालाघाट





मध्य प्रदेश सम्पत्तीहीन भू-अभिलेख

खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11090420491

ग्राम: सुन्दर		पटवारी हस्ता: सुन्दर		तहसील: तिरौछी		जिला: बालाघाट		वर्ष: 2023-2024			
पूनि के भाग की श्रृंखला	पूनि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/खंड संख्या)	पूनि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/खंड संख्या)	पूनि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/खंड संख्या)	पूनि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/खंड संख्या)	पूनि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/खंड संख्या)	पूनि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/खंड संख्या)	पूनि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/खंड संख्या)	पूनि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/खंड संख्या)	पूनि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्या/खंड संख्या)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124664 7925	264/1 (S)		71.8540 हेक्टेयर	(शासकीय) मध्य प्रदेश शासन मता बालाघाट मध्य प्रदेश शासकीय	1						कलेक्टर द्वारा प्र. क्र. 0029/अ-59/2022-23 एवं आदेश दिनांक 05/11/2022 के अनुसार दिनांक 18/12/2023 को खसरा दिप्पणी में परिवर्तन दर्ज।
7DLCR 8DCQY 7UH0			रु. 0.00								म.प्र. शासन बड़े झाड का जंगल न्यायालय कलेक्टर सा प्र क्र ००२९/अ-५९ वर्ष 2022-२३ आदेश दिनांक ५/१२/२०२२ के अनुसार वन विभाग का हस्तांतरित



म.प्र. शासकीय सड़क विकास प्राधिकरण
परि. क्रियान्वयन ईकाई कं. 1, बालाघाट

-: जिला स्तरीय वन अधिकार समिति का सहमति पत्र :-

प्रमाणित किया जाता है :-

- 1- आवेदक विभाग "महाप्रबंधक, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 01 बालाघाट" द्वारा "किमी. 28 ऑफ टी-01 से बंजरीटोला सड़क निर्माण कार्य" हेतु तहसील लांजी आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के वन खंड क्रमांक 355, 356 AB के वन क्षेत्र में 1.523 हेक्टेयर वन भूमि हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग की गई है।
- 2- ग्राम पंचायत सर्रा, जनपद पंचायत लांजी के द्वारा उक्त कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गई है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओ /प्रतिक्रियाओ का पालन पूर्ण कर लिया गया है एवं हक प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कोई भी व्यक्तिगत/सामुदायिक दावे लंबित नहीं है एवं उक्त क्षेत्र में किसी भी दावेदार को वन अधिकार हक प्रमाण पत्र पात्र/अपात्र नहीं किया गया है। ग्रामसभा की बैठक में 50% से अधिक सदस्य उपस्थित हुए।
- 3- उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति लांजी के द्वारा "किमी. 28 ऑफ टी-01 से बंजरीटोला सड़क निर्माण कार्य" हेतु वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए सहमति/अनुशंसा की गई है।
- 4- वन भूमि के व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले प्रयोजन के निर्माण से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है।

अतः उपखंड स्तरीय वन अधिकार समिति के सहमति के आधार पर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति उक्त कार्य हेतु अपना अभिमत/सहमति प्रदान करती है।

(सचिव)

सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट
जिला स्तरीय वन अधिकार
समिति बालाघाट

(सदस्य)

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वन मंडल बालाघाट
जिला स्तरीय वन अधिकार
समिति बालाघाट

(अध्यक्ष)

कलेक्टर
जिला बालाघाट
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति
बालाघाट

(For Linear Projects)

Government Of Madhya Pradesh

Office of the District Collector, Balaghat

No. 2197

Dated... 8/6/2023


TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right Act, 2006 FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.97 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **General Manager, Rural Roads Development Authority Project Implementation Unit No. 01 Balaghat**, (name of user agency) for **KM 28 of T-01 to Banjaritola Road Construction Work** (purpose for diversion of forest land) in **Balaghat** district falls within jurisdiction of South Balaghat Forest Division, Forest Range- Balaghat (T.) Forest Block Lanji Tah./Block Lanji, Village- Sarra in Compartment No. 355, 356 AB Total Area 1.523 Hec. in Forest land village(s) in Lanji tehsils.

It is further certified that:


- (c) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.523 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **01** to annexure **02**.
- (d) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent. to it;
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal Groups and preagricultural communities.

Encl: As above:


(Dr. Girish Kumar Mishra)
 Signature
 (full name and official seal of the District Collector)
BALAGHAT

—: NPV की अतिरिक्त राशि जमा संबंध में प्रमाण पत्र :-


प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कि.मी. 28 ऑफ टी 01 से बंजारीटोला लम्बाई 2.03 कि.मी. मार्ग में वन परिक्षेत्र पूर्व लांजी (सा.) परिक्षेत्र अन्तर्गत वन क्लस क्रमांक 355, 356 AB, रकबा 1.523 हेक्टेयर प्रस्तावित वन भूमि में सड़क के निर्माण के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय भारत द्वारा गठित कमेटी द्वारा भविष्य में NPV की दर निर्धारित की जाती है एवं अधिरोपित शर्तानुसार अंतर की राशि मांग की जाती है तब अंतर की राशि भुगतान करने हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।



म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई अ. 1, बालाघाट

-: Muck के उपयोग हेतु वचन पत्र :-


प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कि.मी. 28 ऑफ टी 01 से बंजारीटोला लम्बाई 2.03 कि.मी. मार्ग में वन परिक्षेत्र, पूर्व लांजी (सा.) परिक्षेत्र अन्तर्गत वन कक्ष क्रमांक 355, 356 AB, रकबा 1.523 हेक्टेयर प्रस्तावित वन भूमि में सड़क के निर्माण के दौरान मार्ग निर्माण में निकलने वाली उपयोगी मिट्टी Embankment बनाने में किया जावेगा तथा शेष अनुपयोगी मिट्टी मार्ग के समतलीकरण में उपयोग की जावेगी। अतः Muck वन क्षेत्र में कहीं भी नहीं डाला जावेगा। इस हेतु आवेदक विभाग वचनबद्ध है।




सहाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Sno.	Proposal Detail	Application No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/MP/ROAD/1553 99/2022 Construction of road from KM28 of T01 to Banjaritola under RCPI WFA scheme	ROAD1553992 022433	61155399433	22-Nov-23	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 1871143/-, Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1871143/-	 Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On 02-Jan-24 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 02-Jan-24 Transaction Date : 04-Jan-24	Demand Letter Generated Challan


 महाप्रबधक
 म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
 परि. क्रियान्वयन ईकाई कं.1, बालाघाट

ज्ञापन क्रमांक 01 / लेखा. / 2023
प्रति,

बालाघाट दिनांक 02 / 01 / 2024

शाखा प्रबंधक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
शाखा- बालाघाट (म.प्र.)

विषय :- Ad-HOC CAMPA मद में राशि NEFT/RTGS करने बाबत।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत CAMPA Fund के निम्नलिखित खाता क्रमांक में राशि जमा किया जाना है। जिस हेतु बैंक क्रमांक 596274 दिनांक 02.01.2024 राशि रु. 8,92,32,075.00 (आठ करोड़ बयानवे लाख बत्तीस हजार पछहत्तर मात्र) संलग्न कर सादर प्रेषित है। कृपया उक्त बैंक खाते में NEFT/RTGS करते हुए CRN (Cyber Receipt No.) प्रदाय करने का कष्ट करें।

खाते का विवरण निम्नानुसार है:-

S.N o	Beneficiary Name	IFSC Code	Pay To Account NO.	Amount	Bank Name & Address
1	MADHYA PRADESH CAMPA	UBIN0996335	1507661156162064	8086706	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027
2	MADHYA PRADESH CAMPA	UBIN0996335	1507661155399433	1871143	
3	MADHYA PRADESH CAMPA	UBIN0996335	1507661155435846	42692712	
4	MADHYA PRADESH CAMPA	UBIN0996335	1507661155818528	12296113	
5	MADHYA PRADESH CAMPA	UBIN0996335	1507661156107384	24285401	
			योग	89232075	

① CBINR52024010410006339
② CBINR52024010410006405
③ CBINR52024010410006439
④ CBINR52024010410007052
⑤ CBINR52024010410007087

[Signature]
महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र.-1, बालाघाट



[Signature]
3-1-24

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 02-01-2024

Agency Name.	MPRRDA PIU-1 BALAGHAT
Application No.	61155399433
MoEF/SG File No.	6-MPB031/2023-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	Near RTO Office Civil Line Balaghat
Amount(in Rs)	1871143/-

Amount in Words :Eighteen Lakh Seventy-One Thousand One Hundred and Forty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1507661155399433 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 02-01-2024

Agency Name.	MPRRDA PIU-1 BALAGHAT
Application No.	61155399433
MoEF/SG File No.	6-MPB031/2023-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	Near RTO Office Civil Line Balaghat
Amount(in Rs)	1871143/-

Amount in Words :Eighteen Lakh Seventy-One Thousand One Hundred and Forty-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1507661155399433 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Print

Back

महाप्रबंधक

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
उपरि. कियान्वयन ईकाई कं.1. बालाघाट